UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

उत्तराखण्ड शासन

Ph. No. 05966-220679 Fax No. 05966-220679 E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 4281 /36सी दिनांक रानीखेत 08/11 ,2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में गनियाद्योली विशालकोट मोटर मार्ग का ग्राम टाना तरस्वार कोठिया डौनी होते हुये विषालकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.90 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/06/91/2016/एफ0सी0/1738 दिनांक 22.01.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है, जो निम्नवत है :–

क्र. सं.	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 900 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	विभाग द्वारा 900 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो की रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों पर ₹ 990000.00 जमा कर दी गयी है। प्राप्ति रसीद संलग्न है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध एन.पी.वी. ₹ 591300.00 जमा कर दी गयी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधिया (CA cost, NPV etc) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 व अन्य मदों की धनराशि रू 1581300.00 ऑन लाईन जनरेट कर चालान के माध्यम से जमा कर दी गयी है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	विभाग द्वारा सड़क के निर्माण के पश्चात् जहा–जहा संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जाएगी। प्रमाण पत्र संलग्न है।

क्रमशः पेज–2 पर

क्रमशः पेज–2 पर

6	State Govt. will upload KML file of the proposal road at para C online Part-I ~~online Part-I~~ as provided in CD.	विभाग द्वारा के0एम0एल0 फाईल में मोटर मार्ग को दर्शाकर पार्ट–। के पैरा C में ऑन लाईन कर दी गयी है। CD भी प्रेषित की जा रही है।
7	State Govt. will provide hard copy of FRA certificate, digital map of proposal road, plantation scheme and Part IV & V, in original.	प्रस्ताव की वनाधिकार प्रमाण पत्र डिजिटल मैप प्लाटेंशन स्कीम पार्ट–I पार्ट–IV और V प्रेषित की जा रही है।

अतः विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार 3 प्रतियों में।

(इं. ओंकार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक /36सी. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

(10)

भारत ...
पर्यावरण, ... जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FORESTS & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/91/2016/एफ0सी0 | 1738

दिनांक 22/01/2018

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद – अल्मोड़ा में गनियाद्योली –विशालकोट मोटर मार्ग का ग्राम टाना–तरस्वार–कोठिया–डौनी होते हुये विशालकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.90 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड की पत्र संख्या–480/X-4-16/1(143)/2016 दिनांक 26.05.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/16103/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अ... की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इ... में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने के उपरांत व प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– **अल्मोड़ा में गनियाद्योली –विशालकोट मोटर मार्ग का ग्राम टाना–तरस्वार–कोठिया–डौनी होते हुये विशालकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.90 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 900 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल **पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will upload KML file of the proposed road at para C online Part-I as provided in CD.
7. State Govt. will provide hard copy of FRA certificate, digital map of proposed road, plantation scheme and Part IV & V, in original.

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 74 से अधिक न हो।
9. सडक निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा
सकता है।

भवदीया,
(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में गनियाद्योली विशालकोट मोटर मार्ग का ग्राम टाना तरस्वाड़ कोठिया डौनी होते हुए विशालकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.90 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि शुद्ध वर्तमान मूल्या की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वि
रानीखेत

E
Ameen

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में गनियाद्योली विशालकोट मोटर मार्ग का ग्राम टाना तरस्वाड़ कोठिया डौनी होते हुए विशालकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.90 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा 900 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो की रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत

Ameen Pramar Patra New/Arvind

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में गनियाद्योली विशालकोट मोटर मार्ग का ग्राम टाना तरस्वाड़ कोठिया डौनी होते हुए विशालकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.90 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर लोक निर्माण अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग रानीखेत

7	FP/UK/ROAD/39247/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/39247/2019) Construction of Era Joras motor road	ROAD392472019693	6139247693	21 Jun 2021	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 635648/-, plantation of 100 trees : 146400/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 782048/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 19 Feb 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 21 Feb 2022 Transaction Date : 21 Feb 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/160220221241546767_FPUKROA Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=F
8	FP/UK/ROAD/21140/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/21140/2016) Sahid Hari Singh Tuolbudhand to Ratkhal Motor Road Sanction Under CM Ghosana no. 492/201	ROAD211402016526	6121140526	29 Sep 2020	CA: 1699407/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1655640/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3355047/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 16 Oct 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 29 Oct 2021 Transaction Date : 16 Feb 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/131020211324170925_FPUKROA Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=F
9	FP/UK/ROAD/34843/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/34843/2018) Construction of 72 m span motor bridge over River Kosi in Era Jorasi Motor Road.	ROAD348432018109	6134843109	21 Jan 2021	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 392229/-, Plantation scheme for plantation of 100 trees : 133100/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 525329/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 16 Oct 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 01 Dec 2021 Transaction Date : 16 Feb 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/131020211314186472_FPUKROA Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=F
10	FP/UK/ROAD/10159/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10159/2015) Construction of Kuloli Munra Devikhal Motor Road	ROAD101592015203	6110159203	30 Dec 2016	CA: 1794603/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 2115540/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3910143/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 02 Mar 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 03 Mar 2019 Transaction Date : 12 Mar 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/21123125812102 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?p
11	FP/UK/ROAD/16103/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/16103/2015) Extension of Ganiadoli Tana Vishalkote motor road via Taraswar, Kothiya and Doni.	ROAD161032015409	6116103409	22 Jan 2018	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 591300/-, Cost of plantation of 10 times of trees affected b : 990000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1581300/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 14 Nov 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 26 Jan 2019 Transaction Date : 13 Feb 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1111512541215V Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?p
12	FP/UK/ROAD/9399/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9399/2015) Construction of motor road to kargil shaheed Anand singh rawat village's Giwalpani	ROAD93992015062	6193990062	21 Sep 2016	CA: 425598/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 0/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 425598/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 26 Oct 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 30 Oct 2018 Transaction Date : 17 Nov 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/91114125412164 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?p

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversio of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details

A-1. Project Details

(i). Proposal No. : FP/UK/ROAD/16103/2015

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : Extension of Ganiadoli Tana Vishalkote motor road via Taraswar, Kothiya and Doni.

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Extension of Ganiyadoli Tana Vishalkote motor road via village Tana, Taraswar, Kothiya, Doni is sanction vide Uttarakhand Govt. order 1835/III(2)/15-03(CM.Ghosan.)/2015 for 3.00 Km length with costing of Rs 28.72 Lac for stage-I works. The sanction road will Connect Taraswar, Kothiya and Doni villag

(iv). State : Uttarakhand

(v). Category of the Proposal : Road

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 28.72

(viii). Area of forest land proposed for diversion(in ha.): 0.9

(ix). Non-forest land required for this project(in ha.): 1.92

(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 200

A-2. Details of User Agency

(i). Name : EXECUTIVE ENGINEER

(ii). Address1 : Provincial Division P.W.D., Ranikhet

(iii). Address2 : Mall Raod Ranikhet

(iv). State : Uttarakhand

(v). District : Almora

(vi). Pin : 263645

(vii). Landmark : NIL

(viii). Email address : eepdrani@yahoo.com

(ix). Landline Telephone No. : 5966-220679

(x). Fax No. : NIL

(xi). Mobile No. : 7500540231

(xii). Website (if any) : NIL

(xiii). Legal status of User Agency : State Government

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: Lalit

(ii). Middle Name: Kumar

(iii). Last Name: Goel

(iv). Gender: Male

(v). Designation: Executive Engineer

(vi). Address 1: Provincial Division PWD, Ranikhet

(vii). Address 2: Mall Road Ranikhet

(viii). State: Uttarakhand

(ix). District: Almora

(x). Tehsil: NIL

(xi). Pin: 263645

(xii). Landmark: Ranikhet

(xiii). Email Address: eepdrani@yahoo.com

(xiv). Landline Telephone No.: 5966-220679

(xv). Fax No.: 05966220679

(xvi). Mobile No.: 9412919971

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency:

B.

Details of land required for the Project

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

Proposal Submitted in Past							
S.no	**Proposal Status.**	**Proposal No.**	**Moef File No.**	**Area Proposed for Diversion(Ha.)**	**Area Diverted(Ha.)**	**Date of In-Principle Approval**	**Date Fina Appro**
1	Approved	FP/UK/ROAD/19725/2016	8B/UCP/06/173/2016/FC/1953	2.16	2.16	29 Dec 2016	21 Fe 2018
Total				**2.16**	**2.16**		

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	**Division Name**	**Forest Land(ha.)**	**Non-Forest Land(ha.)**
1.	Almora	0.9	1.92
Total		0.9	1.92

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	**District Name**	**Forest Land(ha.)**	**Non-Forest Land(ha.)**
1.	Almora	0.9	1.92
Total		0.9	1.92

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	**Village**	**Forest Land(ha.)**	**Non-Forest Land(ha.)**
1	Taraswar	0.72	1.02
2	Kothiya	0.18	0.504
3	Khagyar	0	0.396
Total		**0.9**	**1.92**

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	**Component**	**Forest Land(ha.)**	**Non-Forest Land(ha.)**
1	For Road Km 1 to 1.800 (Taraswar Village)	0.72	0.9
2	For Road Km 1.800 to 2.560 (Kothiya Village)	0.18	0.504
3	For Road Km 2.560 to 3.00 (Khagyar Village)	0	0.396
4	For Muck Dumping Yard at Km 1	0	0.12
Total		**0.9**	**1.92**

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Almora

(i). **Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) :** 0.9

(ii). **Nature of the Project:** Linear

(b). **No. of Segments :** One

Segment wise details		
Segments	**Segment Area(in ha.)**	**Kml File of Segments** (To view KML file on google the same may be downloaded and then open if in google earth install in your computer).
1.	0.9	**View File**

(iii). **Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted:** Map

(iv). **Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station:** Map

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). **Copy of note containing justification for locating the Project in forest land:**

(ii). **Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided:** Yes

(a). **Copy of map indicating location of alternative examined:**

E. Employment likely to be generated

(i). **Whether the Project is likely to generate employment ?:** Yes

(ii). **Permanent/Regular Employment(Number of persons):** 10

(iii). **Temporary Employment(Number of person-days):** 2500

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). **Whether Project involves displacement?:** No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). **Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?:** No

H. Status of Environmental Clearance

(i). **Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? :** No

I. Status of Wildelife Clearance

(i). **Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? :** No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i).**Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? :** No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). **Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? :** Yes

(a). **Copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted:**

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). **Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?:** Not Applicable

(ii). **Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ?:** Not Applicable

(iii) . **Reason for not providing Non-Forest Land:** Not Applicable

Additional information Details

Documents		
S.No	**Documents**	**Remarks**
1		A Short Narrative and importance of the project
2		Administrative and Financial sanction
3		Preliminary Joint inspection report
4		Comparative chart showing statement of both alignment
5		Certificate by DM that No alternative suitable for the project.
6		Land Schedule
7		Category wise land length, width and area
8		Bar chart with index
9		Undertaking by the user agency to bear the cost of ten times plantation.
10		Estimate Road side/ gap filling plantation estimate

11		Undertaking by the user agency to bear the cost of Road side/ gap filling plantation
12		Details of trees with their scientific names
13		Felling of oak trees
14		Certificate of felling minimum trees during the project work.
15		Muck disposal scheme as per prescribed formate
16		Weather project area is a part of National Park/ sanctuary and aerial distance
17		No violation has taken place FC Act 1980 regarding
18		NOC from local gram sabhas and van Panchayat samiti
19		Certificate that work has not been started
20		Geologist Report
21		Task Force report
22		Manak Shartain
23		Certificate by user agency for complying the condition imposed in Manak shartain
24		Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/ Task force recommendation in hill areas
25		No historical/ Monumental or religious place will be effected certificate
26		Undertaking regarding no animal will be effected adversely by the project.
27		Undertaking to provide alternate fuelwood, keroseen of LPG to labours involved in project.
28		Benefited villages/ Families/ Population certificate
29		NPV calculation.
30		Undertaking of payment of NPV
31		Cost of forest land
32		Undertaking by the user agency to bear the cost for demarcation work.
33		Check list, Main attachment, additional attachment and fact sheet
34		Part I and II
35		Reply on objection raised by Regional Office.
36		Reply on objections raised by DFO Letter No Memo/12-1(2) dated 14-07-2016 vide this office letter No 2011/36C dated 30-08-2017
37		Reply on objection raise vide DFO letter No Memo/12-1(2)

		dated 06-10-2017
38		Point wise reply on objection raised by DFO Almora vide letter No Memo/12-1(2) dated 10-10-2017
39		Point wise reply on objection raised by DFO Almora vide letter No Memo/12-1(2) dated 09-11-2017

Print

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः– 3265 / **FP/UK/ROAD/16103/2015** देहरादूनः दिनांकः 02 मई, 2016

सेवा में,

अपर सचिव, वन
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा में गनियाद्योली मोटर मार्ग का ग्राम टाना–तरस्वार–कोठिया–डौनी से विशालकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **FP/UK/ROAD/16103/2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक–3253 दिनांक 02-05-2016 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। **(प्रति संलग्न)** अतः जनहित में प्रस्ताव 1.00 है0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/ 16103 /2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–अल्मोड़ा।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
7. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, अल्मोड़ा।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद–अल्मोड़ा में गनियाद्योली मोटर मार्ग का ग्राम टाना–तरस्वार–कोठिया–डौनी से विशालकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **FP/UK/ROAD/16103/2015**

2. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु अल्मोड़ा वन प्रभाग में 0.45 है0 राजस्व भूमि, 0.45 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.9 है0 का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः प्रस्ताव 1.00 है0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (एस0टी0एस0 लेप्चा भा.व.से.)
प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहरः
तिथि : 2/05/2016
स्थान : देहरादून

FILE NO. 1(143)/2016

PROPOSAL NO-FP/UK/ROAD/16103/2015

PROPOSAL NAME – GANIADOLI TANA VISHALKOTE MOTOR ROAD VIA TARASWAR, KOTHIYA AND DONI

AREA-0.9 Ha

PART- V

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Recommendation of the State Government:

(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part C or Part D above should be specifically commented upon)

RECOMMENDED

4/5/16

Signature- Joshi

Name and designation

Official seal